

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 55  
25.11.2024 को उत्तर के लिए

**पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मछली पकड़ने पर रोक**

**55. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे :**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता था, लेकिन इस स्थान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद वहां मछली पकड़ने के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासी लोगों पर लगाए गए मछली पकड़ने के व्यवसाय पर प्रतिबंध के कारण बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग बेरोजगार हो गए हैं;
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मछली पकड़ने के व्यवसाय पर प्रतिबंध हटाने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मछली पकड़ने के व्यवसाय को पहले की तरह चलाने के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने का है ताकि जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना आदिवासी समुदाय/समाज द्वारा मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जा सके?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ङ): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों को किसी क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य उसमें रहने वाले वन्यजीवों या उसके पर्यावरण को सुरक्षित, संवर्धित एवं विकसित करना है। इस अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में क्षेत्रों की अधिसूचना से पहले, अधिकारों का समाधान करना और उन्हें राज्य सरकारों में निहित करना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर टोटलाडोह जलाशय में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधियां की जाती थीं। तदुपरांत, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना से पहले स्थानीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों का समाधान किया गया।

जैसाकि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु पात्र मछुआरों के अधिकारों का समाधान करने के लिए उन्हें 68 लाख रु. का मुआवजा प्रदान किया गया। तब से, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मछली पकड़ने की गतिविधि प्रतिबंधित है।

मछली पकड़ने की गतिविधियों को सुकर बनाने हेतु पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बदलाव के लिए मंत्रालय के पास संबंधित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*